#### कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

क्रमांक:-व-15(30) आरपीए/जन/कम्प्यूटर/18/ 5217 दिनांक:- 27-7-27

खुली निविदा सूचना

इस संस्था स्थित सीडीपीएसएम शाखा हेतु फोटो स्टेट मशीन क्रय करने के लिएके लिए सीलबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, निविदा सूचना <u>www.sppp.rajasthan.gov.in</u>पोर्टल एवं <u>www.rpa.rajasthan.gov.in</u> वेबसाइट पर देखी जा सकती है:-

क्र.सं. ३	आईटम	अनुमानित राशि रू.	अमानत राशि रू.	निविदा फार्म मूल्य
200	कोटो स्टेट मशीन (परिशिष्ट –ए)	1.40 লাख	बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (1400 / –)	

#### निविदा शर्ते:-

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र इस कार्यालय की सामान्य शाखा से निर्धारित

शुल्क (बैकर चैक / डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

2. निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 03.08.2021 को दोपहर एक बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में इस कार्यालय की सामान्य शाखा में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिनांक 03.08.2021 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

3. वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिंड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर देना अनिवार्य है।

निविदा के साथ जी. एस.टी. रिजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. रिटर्न एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

5. जो निविदाएँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

6. निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. नियम के अनुसार मान्य होगी। 7. क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

 निविदाएं तकनीकी बिंड व वित्तीय बिंड अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिंड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

> एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के टेकेंदारों को सूचित करने का श्रम करें।

सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।

लेखाधिकारी / प्रोग्रामप्र/राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

5. प्रभारी कम्प्यूटर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.inवेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।

प्रभारी स्टोर/कैशियर/नोटिस बोर्ड राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।

# कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

(निविदा प्रपत्र—तकनीकी बिड) परिशिष्ट "अ"

		2	-	
दूरभाष एव फॅक्स नम्बर इमेल सहित	डाक का पूर्ण पता	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नामव	विविध सामान सप्लाई के लिए निविदा।	घोषणा

 सन्दर्भ :- निविदा सूचना संख्या :-. निविदा जिसे प्रयुत्त करनी है :- निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

(समाचार पत्र का नाम) दिनांक ...

निविदा शुल्क :-में प्रकाशित हुई है। राशि रूपये .... द्वारा जमा करा दी गई है। ... बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या

हम निविदा सूचना संख्या ... हस्ताक्षर शुदा संलग्न है। पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण- स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा परिशिष्ट से संबंधित परिशिष्ट "स" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं परिशिष्ट "स" के समस्त पृष्ठों ... में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तो

हम राहमत है कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अकित समयाविध में विविध सामान की सप्लाई कर दी

9. हमारा राजस्थान बिकी कर पंजियन जी.एस.टी. संख्या. हम सम्पुष्टि करते है कि प्ररतुत दरें, "तकनीकी विड" में खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।

10. हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।

11. हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अगाव में निविदा निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:--

12. हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।

13. हम समुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा खुली-निविदा मे निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

- कसंख्या (11) मे अंकित संलग्न दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे "Yes or "No" अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अमाव मे निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
- निविदा भरने की प्रकिया :-
- (ए) तकनीकी बिंड के साथ समस्त प्रमाण पत्र स्वं हस्ताक्षर उपरान्त निर्धारित राशि खुली-निविदा के साथ
- संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किये जावेंगें। (बी) बोलीदाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड जिसमे बोली के तहत मांगे गयें डी.डी./बैकर्स चैक, फार्म व हस्ताक्षर युक्त बिंड प्रपत्र तथा तकनीकी बिंड में मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर सीलवन्द करना होगा तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिंड में अपनी प्रस्तावित दरें निर्धारित परिशिष्ट में भरकर इस लिफाफें को सीलवन्द करना होगा। तथा इन दोनो बन्द लिफाफें को एक तीसरे लिफाफें में रखकर इसे सीलवन्द कर उस पर सम्बिधत निविदा कार्य का नाम तथा बोलीदाता फर्म का नाम पता व दूरभाष / मोबाईल नम्बर लिखकर प्रस्तुत करना होगा।

हस्ताक्षर मय मोहर निविदादाता के

# कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर। क्रमांक:-व-15() आरपीए/जन/कम्प्यूटर/18 / 5 १/७ दिनांक:- 27 | ७ / १/

निविदा जमा कराने की आँचम तिथि 03.08.2021 समय 01.00 बजे तक। निविदा खोलने की अन्तिम तिथि 03.08.2021 साँयः 03.30 बजे

#### निविदा प्रारूप

वित्तीय बिड (देखिए नियम 68)

15. संस्था के स्थित सीडीपीएसएम शाखा हेतु फोटो स्टेट मशीन क्रय करने के लिएके लिए निविदा।
16. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता, ई-मेल एवं मोबाईल नं० .......

17बोलीदाता का :- पैन नं
जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं
18. किसको सम्बोधित की गयी–निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
19. सन्दर्भ :-
20. निविदा शुल्क की राशि रू 200 / – बैंकर चैंक /बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट सं दिनांक
के द्वारा जमा करा दी गई है।
21. निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या
दिनांकमें वर्णित सभी शतों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित
शतों के हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त
निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
22. कार्य / सामान का विवरण एवं स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

24. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

23. निविदाएं तकनीकी बिंड व वित्तीय बिंड अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी

बिड के साथ उपर्युक्त तालिका में अंकित प्रिन्टर्स के नमूने स्पेशीफिकेशन के अनुसार एवं बयाना राशि जमा करानी होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली

- 25. वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ.2(1)वित्त / जीएण्डरी-एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर देना अनिवार्य हैं।
- 26. इसके साथ जी.एस.टी./बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर चुकती प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
- 27. विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
- 28. निविदा शर्ते मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

### फोटो स्टेट मशीन के स्पेशिफिकेशन

1 9 1 2 1	Panel size / resolution System memory Interface Network Protocols Paper input capacity (Standard/ Max) Paper tray input
7.	Manual bypass
.00	Manual bypass
9.	Automatic duplexing
=   5	Power consumption
12.	
14.	System weight PRINTER SPECIFIC ATIONS
15.	Print resolution
16.	
18.	18. Operating System
19.	Printer Fonts
20.	Mobile Printing
21.	System Storage
22.	Automatic document feeder (Optional)
23.	Booklat making

निविदा दाता के हस्ताक्षर

## Form of Bid- Securing Declaration

Date Bid No. Alternative No.

10,

We, the undersigned, declare that:

Condition of Bid in the following cases namely Declaration We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the term and We understand that according to your conditions bids must be supported by a Bid-Securing

- (a) When we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) When we do not execute the agreement if any after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) When we fail to commence th/e agreement if any after placement of supply/work order
- (e) If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and (d) When we do not seposit the performance secuurity within specified period after the supply/work order is placed; and

Chapter VI of these rules.

In addition to above, the state Government shall debasr us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three yrars in case where the entire bid security or

paart thereof is required to be Forfeited by procuring entiwtey.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

- (i) We are not the successful Bidder;
- (ii) the executiion of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case the are successfuk bidder;

(iii)thirty days after the expiration of our Bid.

- (iv) The cancellation of the procurement process; or
- The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawall is permitted.

Corporate Seal	Dated on day of	Duly a+3authorized to sing the bid for and on behalf of:	In the capacity of :	Name:	Signed:

Joint Venture that is submitting the bid.) (Note : In case of a Joint Venture, the Bid Securing Deccuring must be sined in of all partners of the

GFR Rules-8 E-mall - Jsfgt@rajasthan.gov.in

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005 www.finance.rajasthan.gov.ln



16. तकनीकी निदेशक विस्त विभाग भी भेजकर लेख है परिपन्न को विस्त विभाग की वेबसाईट पर रक्षित पत्रावली।

समस्त जवापन संस्थाएं। समस्त कोषाधिकारी ।

समरत वित्तीय संग्राहकार/मुख्य लेखाविकारी । रजिस्ट्रार् राजस्थानं सिविल सेवा अपील अधिकरण, जायपुर ।

समस्त विभागाच्या / जिला कलक्टर / संमागीय आयुक्त। समस्त संयुक्त शासन् सथिव/उप शासन् सृष्टिव/सदिवालय के सगरत अनुगाग/विमान |

प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर

प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।

रजिस्ट्रार, राजस्थान जच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर । सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

संचिव, राजस्थान विधानसमा, राजस्थान, जयपुर । सन्चिव, टोकायुवत संचिवाहाय, राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि निभ्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाडी हेतु प्रेषित हैं.— डप् सचित्र, मुख्य सचित्र/निजी सचित्, समस्त अति, मुख्य सचित्र/प्रमुख शासन सचित्र/ शासन राचित, राज्यपाल/प्रमुख सचित, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीनाग/राज्य

(विमेले सुनीर गुद्रा) संयुक्त शासन सचिव The world संलग्न- उपरोक्तानुसार

धारा ३ सपिठत अनुसूची के अनुच्छेद ४ के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/--रूपये स्टाम्प खुयूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त जुपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिद्ध राजस्थान राज्य में स्टाम्य इंयूटी एवं सरवार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें। शिवयूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर जक्तानुसार में. घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित हैं। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की ज्यापन संस्थाओं के जपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र चूंकि उवत नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध

पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। हुए आमंत्रित की जाने वाली आगाभी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक विड 2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते शिवधूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा विस्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक. 2(1)वित्रं जीएण्डरी — एसपीएकसी /

#### परिपन्न

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त / जीएण्डटी—एसपीएफसी / 2017 जयपुर, दिनाक : 23-12-20

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग राजस्थान सरकार



Phone No. 0141-2227921

### खुली निविदा एवं संविदा की शर्ते



समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए । टिप्पणी : निविदाओं को इन शतों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते

बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया

(अ) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाऐ:—

(i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी।

ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरण्डम प्राप्त होना चाहिए। जावेगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता (i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्में पात्र मानी (ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण:-

बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है। दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र (11) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना

(v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 0.25 एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उद्योग केन्द्र का प्रमाण पुत्र प्ररतुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम (iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से मिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तमी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी राशि बोली के साथ मान्य खरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौधाई से प्ररुतुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आद्यार बोली आमंत्रण सूचना के आंकेत निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके अभिरवीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ (iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II

साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी

नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के

कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की (vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। (vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना

3. सैम्पल(sample)-

(ii) उपरोक्तानुसार सील कर प्रस्तुत करने होंगे। सैम्पल की मांग की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इस हेतु सूचित करने पर सैम्पल बोली आमंत्रण सूचना में अंकित नहीं होने पर भी कार्यालय द्वारा किसी भी स्टेज पर

द्वारा वहन किया जायेगा जो सैम्पल की जॉच के उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा। यदि बोलीदाता जॉच शुल्क जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभृति राशि में से जॉच शुल्क राशि काट ली जाएगी। निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जॉच कराई जाती है तो जॉच शुल्क बोलीदात प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया विभागीय उपापन (procurement)समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जॉंच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत

(i) फर्न आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में निविदाता को मुक्त नहीं किया जायेगा। द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य

नहीं हो जाते एवं केताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकर की गई किसी भागीदारी उन्पुक्ति (डिसचार्ज) होगा । की रसदी उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी योजना के लिए पर्याप्त रूप से तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य (ii) सविदा के सबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में

जीएसटी /बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर शोधन प्रमाण-पत्र-

(i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम/बिक्नकर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) बोलीदाता सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्राप्त बिकी कर शोधन प्रमाण-पत्र एवं आय कर चुकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । इसके बिना निविदा को

रदद कर दिया जावेगा।

दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हरताक्षर अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। निविदा प्रारूप स्थाही से भरा जायेगा या टकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा किसी भी

बोली में दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समस्त प्रकार के करों की किये जाने चाहिए।

0 करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी। विधि मान्यता:- निवदाएँ उनके खोले जाने के दिनांक से RTPP नियम में उल्लेखित अवधि के पृथक से स्पष्ट करें। दरें गन्तव्य स्थान तक एफओआर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए । स्थानीय प्रयासों सप्लाई के मामले में दरों में समस्त

लिए विधि मान्य होगी।

11. निविदाता अपनी संविदा को या उनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा।

12. गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा। लिए किया जायेगा कि वे विनिदेशों या अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जायेगा। निरीक्षण एवं परीक्षण :- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के रदद कर दिया जायेगा। रदद किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये अनुमोदित नमूनों/केटलॉंग/डेमो के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को

13. रदद किये गये सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद विभाग किसी भी प्रकार की हानि, कभी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

14. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युवित्युक्त उचित समयो बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा। पर प्रदायकर्ता / टेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके

15. परीक्षण प्रभार :—परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल प्रीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

रदंद करना :--

 (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान या जो वरतुएँ अनुमोदित नहीं की जाएंगी, उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्ताई अविध में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावगा

(ii) आपूर्ति किया गया माल या आईट्म निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम

(iii) यदि रदद किये गये सामान को जनहित/सरकारी सामानकी तात्कालिक आवश्यकता के कारण से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी। को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों मे पूर्ण या आंधिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता

17. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना ALC: I एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रद्द कर दिया

18. बोली प्रतिभूति राशि :

 बिड सिक्यूरिटी का निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2020 के आधार पर किया जावेगा। बोली के साथ बोली प्रतिमूति हेतु स्टॉम्प घोषणा प्रस्तुत की जायेगी। बोली प्रतिमूति घोषणा स्टॉम्प के बिना बोलियो पर विचार नही किया जायेगा।

करने पर बोली प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छुट प्रदान की जॉयेगी। 18. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण —बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया राजस्थान के सक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगो एवं इनसे रूग्ण उद्योगों को वित्त विभाग (राजस्थान सरकार्) की अधिसूचना दिनांक 19.11.2019 के अनुसार निर्धारित शाष्थ-पत्र प्रस्तुत

प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है। (1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व

निष्पादित नहीं करता है। (2)जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो (4)जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल रहता (3)जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

19.करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :--है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रूपथे स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी। 1000/— मूल्य के नॉन ज्सूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार—पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावृधित मूल्य जिसके लिए बोली

(ii)सामानसम्पादन प्रतिभूति की अर्ग्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक सामानसम्पादन प्रतिमूर्ति घोषणा ली जायेगी प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में सामानसम्पादित या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाईटियों जो राज्य सरकार के स्वामेल

प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी। आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर (iii)यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन IIअभिस्वीकृति अथवा उद्योग

(vi)सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के समूब लिबत हैं, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर होगी।

(1) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(2) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी-

(i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक

डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।

स्वीकार किया जायेगा। गिरवी रखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर (iii) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफॅस / सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्किप्ट /विलेख यदि इन्हें

प्रतिभृति ्राशि का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित सामलों में समपहरत किया जायेगा:-(क)जब संविदा की किसी शर्त /अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

20.

(ग)प्रतिभृति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस (छ)जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति/सामानसंतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो। सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

21. सुपर्दगी अवधि :-(घ) सामानमें असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के

(i) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को सुविधानुसार कार्य/अनुबंध का आदेश दिया जा सकेगा । विभाग द्वारा आवश्यकता एव

(ii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपन्न में निर्दिष्ट मात्रा से कुम मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

22. परिसमापित नुक्सानी :-परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-व्सूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको

(क) विहित सामानअवधि की एक चौधाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अविध से अधिक किन्तु निहित अविध के तीन चौथाई से अधिक अविध के लिए 7.5

(घ) निइति अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत । (ड.)यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सामानपूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाइता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि सामान पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ट) यदि सामानकरने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सामानकी अविध में वृद्धि परिनिधारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

23. वसूली :—परिनिर्धारित क्षतियाँ कम सप्लाई, टूट फूट या रदद की गई वस्तुओं/अनुबंध के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूट फूट, किये गये मालों की सीमा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रतिभूति निपेक्ष से की जायेगी। यदि वसूली कर्ना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है

24. प्रदाय किये जाने वाले सामान की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

26. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंधिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग को 25. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज - निविदादाता द्वारा आदेशित सामान निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा सामान स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जा सकेगी। पूर्ण अधिकारी होगा।

27.

जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा। वित्तीय बिंड में दी गई आईटम वाईज दर के आधार पूर न्यूनत्म दरदाता फर्म की आईटमवार यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शतों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन होता है तो जुसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, एवं सदस्य सचिव सी.डी.पी.एस.एम

28. निविदा या एकजाई रूप में रवीकार योग्य होगी। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

29. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

30. सफल बिडदाता आईटम सप्लाई अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet नहीं

31. सामानसंतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा धराहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

32. बिंड में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सिंहत होनी चाहिये। पृथक से कोई प्रभार देय

33. न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता का चयन आईटम वाईज या इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

35. भुगतान :-. आईटस्स वाईज दर अंकों एवं शब्दों में ध्यानपूर्वक भरी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यानपूर्वक की जावें। अंको एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की स्थिति में आईटम की रेट अंको एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको अन्तिम माना जावेगा।

जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। (ख) विवादास्पद्र मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा (क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये

तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा। (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जूरूरत हैं, भुगतान तभी किया जायेगा जब

36. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :--उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।

- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
- 37. किसी भी निविदा/बिंड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न
- हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। 38. राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।
- 39 ब्लोक लिस्टेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।
- 40. निवेदा प्रणाली RTPP Act 2012, Rules 2013के अनुसार होगी।
  41. तंग करने वाली अपीले या परिवदः जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आश्य से इस अधिनियम के अशीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है, वह ऐसे जुमनि से दण्डनीय होगा जो राशि बीस लाख रूपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

42.प्रतिभूति निक्षेप / सामानसम्पादन प्रतिभूति:— सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का प्रतिशत अलग से प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा।

मैंने / हमने उपर्युक्त समस्त शर्ते ध्याननूर्वक पढ़ ली हैं। मैं / हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य

(निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप) निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते है कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विकेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विकय/विपणन एजेण्ट हूं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपद्यत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

`IAnnexure A: Compliance with the Code of Integrity and NoConflict-of-InterestAny person participating in a procurement process shall -

**6** (a) otherwise influence the procurement process. indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or

not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

<u>c</u> the transparency, fairness and progress of the procurement process. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair

**a** not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.

(e) procurement process. do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the not indulge in any coercion including impairing or harming or ththreatening to

not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(B) (E) disclose conflict of interest, if any; and

country during the last three years or any debarment by any other procuring disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other

Conflict of Interest:-

could improperly influence that party's performance of official duties or A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

regulations. responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and

A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

have controlling partners/shareholders in common; or

receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;

have the same legal representative for purposes of the Bid; or

e. have a relationship with each other, directly or through common third Procuring Entity regarding the bidding process; or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the parties, that puts them in a position to have access to information about or

participating as a Bidder, in more than one Bid; or the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the

or Services that are the subject of the Bid; or preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the

ád Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

# Annexure B: Declaration by the Bidder regarding qualifications $\frac{Declaration}{Declaration}$ by the Bidder

Bids No. Dated
----------------

- I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
- I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Biddingh Document.
- 3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of
- the foregoing reasons.

  4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise
- 5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

disqualified pursuant to debarment proceedings.

Date:

Place:

Designation:

Address:

Signature of bidder Name:

# Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Second Appellate Authority is..... The designation and address of the First Appellate Authority is.....

### Filling an appeal

acceptable. Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to he before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Provided further that in case a Procuring Entity evaluated thae Technical Bids filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving Authority, as specified in the Bidding Ducument within a period of ten days from Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate omission of procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or

- 2 from the date of the appeal. expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days The officer whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as
- (4) 3 Authority, as the case may be. in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the Firsst Appellate Document in this behalf within fifteen days from the espiry of the period specified the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, If the officer designated under para (1) fails to dispuse of the appeal filed within
- Appeal not to lie in certain cases

following matters, namely:-No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the

- A Determination of need of procurement;
- (B) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- The decision of whether or not to enter into negotiations;
- Cancellation of a procurement process;

(E)Applicability of the provisions of confidentiality

#### (5) Form of Appeal

- along with as many copies as there are respondents in the appeal. An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form
- $\bigcirc$ any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if

(C) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

### (6) Fee for filing appeal

- A) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- (B) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque or a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

## (7) Procedure for disposal of appeal

- (A) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- (I) hear all the parties to appeal present before him; and
- peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the
- copy of the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause  $\mathbb O$  above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

<ul> <li>(i) Name of the appellant:</li> <li>(ii) Official address, if any:</li> <li>(iii) Residential address:</li> <li>2.Particulars of appellant:</li> <li>(i)</li> <li>(ii)</li> <li>(iii)</li> <li>(iii)</li> <li>(iii)</li> <li>(iii)</li> <li>3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:</li> <li>4.If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:</li> <li>5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal</li> <li>6. Grounds of appeal: (supported by an affidavit)</li> <li>7. Prayer ————————————————————————————————————</li></ul>	Appeal No			
<ul> <li>(i) Name of the appellant:</li> <li>(ii) Official address, if any:</li> <li>(iii) Residential address:</li> <li>2.Particulars of appellant:</li> <li>(i)</li> <li>(ii)</li> <li>(iii)</li> <li>(iii)</li> <li>(iii)</li> <li>3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:</li> <li>4.If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:</li> <li>5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal</li> <li>6. Grounds of appeal: (supported by an affidavit)</li> <li>7. Prayer ————————————————————————————————————</li></ul>	lemorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procuremen ppeal No			
<ul> <li>(i) Name of the appellant:</li> <li>(ii) Official address, if any:</li> <li>(iii) Residential address:</li> <li>2.Particulars of appellant:</li> <li>(i)</li> <li>(ii)</li> <li>(iii)</li> <li>(iii)</li> <li>(iii)</li> <li>(iii)</li> <li>3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:</li> <li>4.If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:</li> <li>5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal</li> <li>6. Grounds of appeal: (supported by an affidavit)</li> <li>7. Prayer</li></ul>	lemorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procuremen ppeal No	te	Pl <sub>t</sub>	
(i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address:  2.Particulars of appellant: (i) (ii) (iii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4.If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:	jasthan Transparency in Public Procuremen  (First/Second Appellate Authority  pealed against and name and designation the order (enclose copy), or a statement the Procuring Entity in contravention of the appellant is aggrieved: resented by a representative, the name an	ner of affidavits and documents enclosed with the appeal nds of appeal: (supported by an affidavit)		
(i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: 2.Particulars of appellant: (i) (ii) (iii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4.If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and	Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012  Appeal No	dress of the representative:	postal ac	
<ul> <li>(i) Name of the appellant:</li> <li>(ii) Official address, if any:</li> <li>(iii) Residential address:</li> <li>2.Particulars of appellant:</li> <li>(i)</li> <li>(ii)</li> <li>(iii)</li> <li>(iii)</li> <li>3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:</li> </ul>	blic Procuremen llate Authority and designation or a statement ontravention of	ppellant proposes to be represented by a representative, the name and	4.If the a	
(i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address:  2.Particulars of appellant: (i) (ii) (iii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of	blic Procuremen llate Authority and designation or a statement	sions of the Act by which the appellant is aggrieved:	the prov	
(i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: 2.Particulars of appellant: (i) (ii) (ii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement		sion, action of omission of the Procuring Entity in contravention of	of a deci	
(i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address:  2.Particulars of appellant: (i) (ii) (iii)	Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal No(First/Second Appellate Authority) i. A Bid 1.Particulars of appellant: (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: 2.Particulars of appellant: (i) (ii) (iii) (iii)	oer and date of the order appealed against and name and designation ficer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement	3. Num of the of	
(i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: 2.Particulars of appellant: (i) (ii)	ler the Rajasthan Transparency in Public Procuremen(First/Second Appellate Authority sellant: s, if any: lress:		i)	
(i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: 2.Particulars of appellant:	ler the Rajasthan Transparency in Public Procuremen(First/Second Appellate Authority) pellant: s, if any: fress:		E: E	
(i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address:	Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal No	ılars of appellant:	2.Partice	
(i) Name of the appellant: (ii) Official address if any.	Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal No	ii) Residential address:	<u>(i.</u>	
A Parameter of the second of t	Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal No(First/Second Appellate Authority) i. A Bid 1.Particulars of appellant:	) Name of the appellant: ) Official address if any:	G: (2)	
1.Particulars of appellant:	Appeal Noof(First/Second Appellate Authority)  i. A Bid	ulars of appellant:	1.Partic	
	Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal NoOf		i. /	
Appeal No	The state of the s	ndum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012	Appeal	

## AnnexureD: additional conditions of contract

## 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:
- II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
- If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall
  prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in
  which case the amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected

## 2. Correction of arithmetical errors

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

# 3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.